मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

सं. ए-49/13/03/2022-रा.भा. दिनांक : जनवरी, 2025

परिपत्र

विषय :- महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 24 दिसंबर, 2024 को संपन्न क.रा.बी. निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

****

महानिदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 24 दिसंबर, 2024 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि

Signed by Shyam Kumar
Date: 13-01-2025 15:42:42
(श्याम कुमार)
संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

सेवा में,

1. मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं।
3. संयुक्त निदेशक(राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
4. बीमा आयुक्त(रा.प्र.अ.)/सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त, आंचलिक कार्यालय/सभी अपर आयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीयं कार्यालय/चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष,अस्पताल/महाविद्यालय/स्ना.आ.अ. संस्थान(पीजीआईएमएसआर)/निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे निगम मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के निवेदन सहित।

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24-12-2024 को आयोजित 188 वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 (मंगलवार) को मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ मे बीमा आयुक्त महोदय ने सर्वप्रथम महानिदेशक का स्वागत किया और बीमा आयुक्त महोदय ने इस बारे में प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा से संबंधित राजभाषा विभाग के पुरस्कार देश के विभिन्न निगम कार्यालयों में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं।

महानिदेशक महोदय को इस संबंध में सूचना देते हुए बीमा आयुक्त (राजभाषा) ने सदस्य सचिव से अनुरोध किया कि वह इस संबंध में विस्तार से अवगत कराएं।

इस संबंध में विस्तार से बताया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों आदि में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और निगम में एक साथ कई कार्यालयों को इस बार पुरस्कार प्रदान किए गए हैं । इनमें, क्षेत्रीय कार्यालय गोवा, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर तथा उप क्षत्रीय कार्यालय लुधियाना, उप क्षत्रीय कार्यालय एर्णाकुलम, उप क्षत्रीय कार्यालय मैसूर कार्यालय हैं।

महानिदेशक महोदय ने इस संबंध में प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य पूरे देश में मेहनत से किया जा रहा है

तत्पश्चात बीमा आयुक्त ने महानिदेशक की अनुमति से सदस्य सचिव को बैठक प्रारंभ करने के लिए कहा।

सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय का स्वागत करने के साथ-साथ सभी बीमा आयुक्त, चिकित्सा आयुक्त, और वहां उपस्थित सभी अधिकारियों का भी अभिवादन किया और बैठक की कार्यवाही आरंभ की।

राजभाषा हिंदी में कार्य के संबंध में सदस्य सचिव ने चर्चा की । महानिदेशक महोदय ने हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की महत्ता पर विस्तार से चर्चा की तथा उन्होंने अवगत कराया कि कोई भी भाषा छोटी अथवा बड़ी नहीं होती। सभी भाषाओं का अपना-अपना महत्व है। उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं के संबंध में भी चर्चा की तथा जानकारी प्रदान की कि राजभाषा हिंदी में कार्य करना संवैधानिक दायित्व है परंतु अन्य भाषाओं में भी जब देखा जाए तो शब्दों में परस्पर साम्यता भी दिखाई देती है अथवा वह शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में हैं अथवा हिंदी के आसपास के ही शब्द हैं। अतः सभी से कहा कि जब हिंदी में कार्य करें तो शब्दों को भी देखें और समझें । इसके साथ ही महानिदेशक महोदय ने अन्य भाषाओं की जानकारी के कारण अपने विभिन्न अनुभव भी साझा किए।

महानिदेशक महोदय ने कहा कि अगर आप किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं तो सभी भाषाओं का सम्मान होता है। महानिदेशक महोदय ने उदाहरण दिया कि वे मलयालम बोलते हैं। भाषा का भी अपना अस्तित्व होता है। उन्होंने बताया कि वे अनेक स्थानों पर तैनात रहे हैं और राजभाषा के अलावा दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। सभी कार्मिक एक साथ मिलकर काम करें। राजभाषा कोई मुश्किल नहीं हैं कहीं न कहीं हम सभी को जितनी भाषाएं सीखने का मौका मिलता है सीखनी चाहिए ।

सदस्य-सचिव ने हिंदी बोलने/लिखने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं इस संबंध में जानकारी दी।

सदस्य-सचिव ने यह भी बताया कि यह विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक है। पूर्व में दिनांक 9.9.2024 में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187 वीं बैठक का आयोजन किया गया था और बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व की 187 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई और जो कार्रवाई राजभाषा शाखा के स्तर पर अपेक्षित थी उस पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत कराया गया। सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि संसदीय राजभाषा समिति केंद्र के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति का राजभाषायी निरीक्षण समय-समय पर करती है और अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति बहुत गंभीरता से निरीक्षण करती है।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ स्लाइडें पी पी टी के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए चर्चा की गई कि समिति की प्रश्नावली में इन इन बिन्दुओं पर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं अतः इन पर कार्रवाई की जानी अत्यंत आवश्यक है।

समस्त चर्चा के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उसके अनुपालन के लिए अनुरोध किया गया :-

1) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।
2) 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। इसका अनुपालन शत प्रतिशत किया जाए।
3) धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।
4) जाँच बिन्दुओं पर अपेक्षानुसार कार्रवाई की जाए।
5) अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से कार्य हिंदी में ही किया जाए।
6) प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।
7) हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त सभी कर्मचारियों से शाखाओं में अनिवार्य रूप से हिंदी टंकण का कार्य कराया जाए।
8) सभी शाखाएं निर्धारित समय से पूर्व राजभाषा शाखा को हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं ताकि उन पर अपेक्षित कार्रवाई समय पर की जा सके।

सदस्य-सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी उपर्युक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए इसका अनुपालन करें जिससे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

बीमा आयुक्त (राजभाषा) द्वारा सदस्यों को परामर्श

मूल पत्राचार के संबंध में चर्चा के दौरान ही बीमा आयुक्त का कहना था कि क क्षेत्र में तो मूल पत्र हिंदी में ही भेजे जाएं और किसी भी स्थिति में अंग्रेजी में कोई पत्र न जाए । यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि सभी क्षेत्रों में लक्ष्य अनुसार पत्राचार करना अति आवश्यक है क्योंकि संसदीय समिति के निरीक्षण के समय वहां पर जवाब देना अपेक्षित होता है।

बीमा एक महोदय ने यह भी कहा कि सामान्य प्रकार के जो पत्र एक जैसे होते हैं उन्हें तो हिंदी में ही अनिवार्य रूप से जारी किया जाए।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक में मदों पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

मद संख्या 1	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 187 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली बैठक दिनांक 09.9.2024 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त को परिचालित कर दिया गया था। बैठक में कार्यवृत्त के आधार पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण बैठक प्रारंभ करते समय प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही आपत्ति/सुझाव के लिए अनुरोध किया गया। किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2	**दिनांक 30.09.2024 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने शाखावार बार चार्ट के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि जिन शाखाओं का पिछली तिमाही की तुलना में पत्राचार प्रतिशत कम रहा वे लक्ष्यानुसार पत्राचार करें।

अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं का पत्राचार प्रतिशत लक्ष्य से कम था, विचार-विमर्श करते हुए उन सभी शाखाओं से कारण जानना चाहा। अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाधिकारियों को निदेश दिया कि वे अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाएं एवं मूल पत्राचार में लक्ष्य प्राप्त करें। सदस्य-सचिव ने कहा कि संसदीय समिति के निरीक्षण के समय महानिदेशक महोदय को उपस्थित होना होता है। अत: राजभाषा से संबंधित दिशा-निर्देशों का गम्भीरता से पालन किया जाए।

सदस्य-सचिव ने बताया कि सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 99.87% एवं 'ख' क्षेत्र के साथ 99.31% और 'ग' क्षेत्र के साथ 95.52% पत्राचार हिंदी में किया गया। यद्यपि 'ग' क्षेत्र के साथ लक्ष्यानुरूप पत्राचार किया गया तथापि यह नोट किया गया कि 'क' एवं 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार 100% के निकट है परंतु शत-प्रतिशत नहीं है और अवगत कराया गया कि इसे हर हाल में 100% किया जाना है। जिन शाखाओं का पत्राचार लक्ष्य प्रतिशत कम रहा उनके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि वे मूल पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय ने उन शाखाओं को पत्राचार के लक्ष्य को सुधारने के निदेश दिए। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने भी कहा कि आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जाए, परंतु मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। पत्रों का अनुवाद हिंदी में करवाने की अपेक्षा शाखाएं स्वयं पत्र का मसौदा हिंदी में बनाएं। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

अध्यक्ष महोदय ने 'ग' क्षेत्र की समस्या को देखते हुए यह भी निदेश दिया कि द्विभाषी पत्राचार किया जाना उचित रहेगा। इस पर कार्रवाई की जाए।

मद संख्या 3	**फाइलों पर टिप्पणियां।**

फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखे जाने पर अवगत करवाया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 74877 टिप्पणी पृष्ठों में से 70939 टिप्पणी पृष्ठ हिंदी में लिखे गए और टिप्पण 94.74% रहा। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथापि आगे हमें इसे और बढ़ाना भी है और इसे बनाए रखने के प्रति विशेष जागरूक रहना है। उन्होंने अवगत कराया कि संपूर्ण कार्य ई-ऑफिस में किया जा रहा है जिसके लिए हिंदी टंकण संबंधी टूल्स की जानकारी आवश्यक हो गई है, अभी कुछ कार्मिक फोनेटिक पद्धति से फाइलों में हिंदी टंकण कर रहे हैं, जिन्हें इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम हिंदी वॉयस टाइपिंग के माध्यम से भी ई-ऑफिस में आसानी से हिंदी में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही टिप्पणी लिखते समय ई-ऑफिस में उसके लिए अनुवाद की सुविधा के संबंध में भी अवगत कराया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी को निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई–मुख्यालय के संबंधित अधिकारी]

मद संख्या 4	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने सदस्यों से जानना चाहा कि धारा 3(3) क्या है कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी दी। समिति को बताया गया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्टें आदि सम्मिलित हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों की सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाई गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना अनिवार्य है या तो पंक्ति दर पंक्ति अथवा पृष्ठ पर आगे-पीछे सामग्री द्विभाषी रूप में हो। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यालय में आलोच्य तिमाही के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत सभी 350 दस्तावेज द्विभाषी में जारी किए गए। सदस्य-सचिव ने इसे बनाए रखने के लिए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया। विशेषकर इस बात पर बल दिया गया कि वेबसाइट पर आदेश एक ही साथ दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं।

[कार्रवाई–मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को जारी किया जा चुका है। बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से सभी निगम कार्यालयों के लिए जारी किया गया है। भाषाई आधार पर पत्राचार के लक्ष्य क, ख, ग क्षेत्र के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में ही दिए जाते हैं। इसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी से अनुरोध किया गया।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल पत्राचार का लक्ष्य निम्नानुसार है :-

'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार
'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के साथ 65% मूल पत्राचार

अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं को निदेशित किया कि वार्षिक कार्यक्रम से संबंधित मदों/लक्ष्यों पर अनुपालन करें।

[कार्रवाई–मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6	निर्धारित जांच-बिंदुओं पर चर्चा।

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा तथा विस्तार से एक एक बिदु पर चर्चा की। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु अप्रैल 2024 को परिचालित किए गए। जांच बिंदुओं की सूची सभी को पढ़कर सुनाई गई। सदस्य-सचिव ने सभी सदस्यों से जांच बिंदु के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी जांच बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए सभी को अनुपालन करने के निदेश दिए।

[कार्रवाई–मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 7	**राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।**

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस संबंध में उन्‍होंने राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अधिकारियों से नियम-5 का अनुपालन गंभीरता से करने का निदेश दिया। इस संबंध में अवगत कराया गया कि तिमाही के दौरान नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में कुल 9562 पत्र प्राप्त हुए और उनमें से 6703 पत्रों के उत्तर हिंदी में भेजे गए जबकि 2859 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार, नियम 5 का उल्लंघन नहीं किया गया।

[कार्रवाई– नियम-5 – मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 8	**राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।**

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि 'क' क्षेत्र में 'क' और 'ख' क्षेत्र से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं। इस दौरान 'ग' क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई और 'ग' क्षेत्र में पत्र द्विभाषी रूप में भी भेजे जाने पर बल दिया गया। शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए नियम 3 के अनुपालन के प्रति सजग रहने के लिए अनुरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ पत्रोत्तर केवल हिंदी में ही किया जाए।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं के द्वारा अनुपालन पूर्ण करने में थोड़ी बहुत कमी रह गई उसके लिए विशेष जागरूक रहने के निदेश दिए।

[कार्रवाई– नियम-3 – मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 9	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय की अनुमति से बताया कि सामान्य शाखा को जेम से हिंदी पुस्तकें खरीदनी हैं परंतु अभी कार्य प्रक्रिया में हैं। उप निदेशक सामान्य शाखा ने जानकारी दी कि जेम से पुस्तकें खरीदने के लिए प्राप्त अनुमति अनुसार जल्दी ही जेम के जरिये पुस्तकें खरीद ली जाएंगी।

सदस्य-सचिव ने बताया कि मुख्यालय की सभी शाखाएं राजभाषा नियम 1976 के नियम 8 (4) के अंतर्गत अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट है। सदस्य-सचिव ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त के संबंध में जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात, सदस्य-सचिव ने ई-ऑफिस में टिप्पण-मसौदा लेखन (नोटिंग ड्रॉफ्टिंग) इत्यादि का अनुवाद करने से संबंधित जानकारी दी।
महानिदेशक महोदय ने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ लेते हुए राजभाषा हिंदी में काम करना बहुत सरल हो गया है। नई तकनीकें निरंतर आ रही हैं हमें वो सीखनी चाहिए और उसका अभ्यास होना चाहिए।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मुख्य बिंदु :-
विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, लिए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां :

1.	धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
2.	हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों से हिंदी टंकण की सेवाएं ली जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
3.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
4.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य	**कार्रवाई–**

	प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
5.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
6.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम के सभी कार्यालय**
7	सभी शाखाएं निर्धारित समय तक या उससे पूर्व राजभाषा शाखा में हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
8	'ग' क्षेत्र में पत्राचार द्विभाषी रूप में करने में 'ग' क्षेत्र के राज्यों को आसानी रहेगी।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
9.	'क' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं।	**कार्रवाई–** **मुख्यालय की सभी शाखाएं**
10	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।	**कार्रवाई–** **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य**
11.	सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ को कार्यशाला में आमंत्रित करना।	**कार्रवाई–** **राजभाषा शाखा**
12	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद।	**कार्रवाई–** **पुस्तकाध्यक्ष/सामान्य शाखा**

अंत में महानिदेशक महोदय, ने सभी सदस्यों से कहा कि वे राजभाषा कार्यान्वयन में मूल पत्राचार लक्ष्य प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करें। नियम-5, नियम-3, का अनुपालन सुनिश्चित करें। फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखें और समस्त राजभाषा कार्यान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित करें जिससे लक्ष्य प्राप्ति भी हो और संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हो।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 188 वीं बैठक में महानिदेशक महोदय द्वारा चर्चा के दौरान आए विशेष बिंदु

• जिन शाखाओं द्वारा अंग्रेजी में कुछ पत्राचार किया है वह अपनी समस्या का समाधान करते हुए अपना समस्त कार्य और पत्राचार हिंदी में ही करें।

• भारत की सभी भाषाएं अपने आप में समृद्ध भाषाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए राजभाषा हिंदी में कार्य करें।

• हिंदी में सभी को मिल जुल कर एक साथ कार्य करना है और हिंदी के प्रति लगाव रखना है।

• राजभाषा हिंदी में काम करने में झिझक को दूर किया जाए और इसके लिए पूरे कार्यालय में मानसिकता तैयार की जाए जिससे कामकाज में झिझक महसूस न हो।

• अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना मिथ्या मानसिकता है, भले ही अंग्रेजी भाषा की जानकारी अच्छी हो किंतु क्योंकि सरकार द्वारा संवैधानिक दायित्व दिया हुआ है कि राजभाषा हिंदी में कार्य करना है इसलिए कार्य हिंदी में ही निष्पादित करें।

• हर भाषा में अच्छे तत्व होते हैं उनका प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को समृद्ध बनाएं।

• भाषा को पोषित करें।

महानिदेशक महोदय द्वारा निर्णय किए गए कुछ विशेष बिंदु

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को हिंदी की एक पुस्तक दी जाए

• प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारियों को हिंदी की एक-एक पुस्तक दी जाए और पुस्तक का चयन बहुत ही सोच समझकर किया जाए जिससे वह अनेक प्रकार के कार्यों में न केवल सहायक हो

बल्कि ज्ञानवर्धक, सूचनापरक, विभिन्न विषयपरक हो। इस संबंध में सुझाव प्रत्येक माह दिए जाने हैं और पुस्तक पहले अध्यक्ष महोदय स्वयं देखेंगे।

सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक साथ अनुवाद

• सॉफ्टवेयर जिसमें एक जगह से कार्य करने के साथ-साथ बाकी जगह पर भी उसमें संशोधन/जोड़ना आदि किया जा सकता है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी लोग एक साथ बैठकर या अलग-अलग हों अनुवाद करते भी रहेंगे और उसको साथ-साथ ठीक भी करते रहेंगे इससे जानकारी वृद्धि भी होगी और समय की भी बचत होगी- इसके बारे में पता लगाया जाए।

अनुवाद अधिकारियों को किसी समय भी अनुवाद के लिए लैपटाप उपलब्ध कराना

• मुख्यालय में अनुवाद बहुत अधिक होने के कारण तथा किसी भी समय अनुवाद अचानक आने और समय कम होने के कारण घर/कार्यालय के बाहर रहते हुए भी अनुवाद किया जा सके, इसके लिए अनुवाद अधिकारियों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की जाए।

हिंदी की पुस्तकों की खरीद

पुस्तकालय के लिए भी अच्छी और रुचिकर पुस्तक खरीदने के साथ-साथ ज्ञानवर्धक और साहित्य की धरोहर हों -ऐसी पुस्तकें भी खरीदी जाएं।

महानिदेशक महोदय और बीमा आयुक्त द्वारा आगामी बैठक के लिए कार्य

इसी के साथ महानिदेशक महोदय ने समाप्त हो रहे वर्ष के संबंध में सभी को आगामी बैठक के लिए कार्य दिया कि जानकारी लेकर आएं कि भारत में कुल कितने नव वर्ष मनाए जाते हैं।

बीमा आयुक्त महोदय ने भी इस संबंध में एक प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?

अंत में महानिदेशक महोदय का आभार तथा सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

Signed by Shyam Kumar
Date: 13-01-2025 15:46:02
(श्याम कुमार)
सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.12.2024 की 188 वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम एवं पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री**	**पदनाम**	
1.	अशोक कुमार सिंह	महानिदेशक	अध्यक्ष
2.	रत्नेश कुमार गौतम	बीमा आयुक्त (रा.भा)	सदस्य
3.	प्रणय सिन्हा	बीमा आयुक्त	सदस्य
4.	डॉ अशित मलिक	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
5.	अशोक कुमार रावत	अपर आयुक्त	सदस्य
6.	डॉ.मधु गुप्ता	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
7.	डॉ. अनीता करनवाल	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
8.	डॉ. नीता गर्ब्याल	उप चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
9.	डॉ. मनोज कुमार	विशेष कार्य अधिकारी	सदस्य
10.	तपन कुमार ढाली	मुख्य कार्य अधिकारी	सदस्य
11.	जानकी सिंह	उप निदेशक	सदस्य
12.	गिरीश कुमार केन	उप निदेशक	सदस्य
13.	दिव्या यादव	उप निदेशक	सदस्य
14.	मयुर	उप निदेशक	सदस्य
15.	अक्षय गुप्ता	उप निदेशक	सदस्य
16.	दिग्विजय प्रसाद सिन्हा	उप निदेशक	सदस्य
17.	सुनील यादव	उप निदेशक	सदस्य
18.	जय प्रकाश शर्मा	उप निदेशक	सदस्य
19.	रूद्रदीप दत्ता	उप निदेशक	सदस्य
20.	प्रवीण कुमार मिश्रा	उप निदेशक	सदस्य
21.	प्रदीप कुमार सिंह	उप निदेशक	सदस्य
22.	त्रिरत्न	उप निदेशक(राजभाषा)	सदस्य
23.	सुशील कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य प्रतिनिधि
24.	पंकज कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य प्रतिनिधि
25.	दीपक कुमार	सहायक निदेशक	सदस्य प्रतिनिधि
26.	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त के अलावा राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।